

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक- 27 / 14-1, बुलन्दशहर, दिनांक, 04/7/2022

सेवा में,

स्टेट बिजनैस डवलपमेन्ट मैनेजर,
रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लि०,
द्वितीय फ्लोर रिलायन्स हाऊस,
आर०के० 4 स्क्वायर, बिल्डिंग 4
डी०एल०एफ०साइबर सिटी, फ़ैस-2
गुडग्राम, हरियाणा।

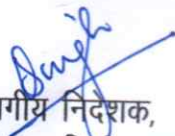
विषय:-

दिल्ली-कानपुर मार्ग किमी० 54 (चैनेज 53.997) की दांयी पटरी के किनारे खसरा नं० 1440 ग्राम सिकन्द्राबाद देहात में रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लि० के रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मार्ग पटरी की 0.0689812 है० संरक्षित वन भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा दिल्ली-कानपुर मार्ग किमी० 54 (चैनेज 53.997) की दांयी पटरी के किनारे खसरा नं० 1440 ग्राम सिकन्द्राबाद देहात में रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लि० के रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मार्ग पटरी की 0.0689812 है० संरक्षित वन भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है। वह अपूर्ण है।

आपको भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के पत्र सं० 11/मिस०/618/2016-17/यू०पी०/राज०/दिल्ली/111/37 दिनांक 23.06.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्र सं० 17/11सी दिनांक 04.07.2017 के साथ संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न होने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र को लगाने हेतु 42 बिन्दुओं की सूची एवं प्रस्ताव में आमतौर पर पायी जाने वाली कमियों/त्रुटियों के सम्बन्ध में 34 बिन्दु की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है कि आप इन बिन्दुओं का भली भाँति अध्ययन कर चैकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 338/11 सी दिनांक 29.07.2021 द्वारा अवगत कराया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों की हार्ड कापी एवं उसकी सॉफ्ट कापी (पी०डी०एफ०) पेनड्राईव सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा है।

अतः आप प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी०डी०एफ० फाईल पेन ड्राईव में पॉच प्रतियों में उपलब्ध करायें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।